छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक सितम्बर, 2021

क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) : चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

(अ) अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग द्वारा जारी ''छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019-24'' में संशोधन हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 की दिनांक से अंकित संशोधन क्रमांक-20 (बीस) के द्वारा जोड़े गये परिशिष्ट-(6.22) राज्य में अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग हेतु विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु ''**औद्योगिक नीति 2019-24 में अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग हेतु विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज**'' के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित प्रावधान, नियम एवं शर्तों लागू की जाती हैं :-

औद्योगिक नीति 2019-24 में अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग हेतु विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज

अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को औद्योगिक नीति 2019-24 में निर्धारित नियमानुसार, पात्रतानुसार विशेष आर्थिक पैकेज के अंर्तगत निम्नानुसार अनुदान, छूट एवं रियायतें दी जावेंगी :-

(6.22.1) **ब्याज अनुदान** :- पात्र उद्योगों को उनके द्वारा लिये गये सावधि ऋण पर निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा : -

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	सामान्य उद्योग / कोर सेक्टर उद्योग			प्राथमिकता उद्योग			उच्च प्राथमिकता उद्योग		
		अनुदान की अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)	अनुदान की अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)	अनुदान की अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	अ	5	75	20	6	75	25	7	75	30
	ब	6	75	25	7	75	30	8	75	35
	स	7	75	40	8	75	50	9	75	55
	द	8	75	45	10	75	55	11	75	60
मध्यम वृहद उद्योग	अ	5	75	30	5	75	40	6	75	45
	ब	6	75	35	6	75	45	7	75	50
	स	7	75	45	8	75	60	9	75	65
	द	8	75	50	10	75	65	11	75	70

(6.22.2) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :-

पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश अनुदान निम्नानुसार देय होगा-

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	सामान्य उद्योग/ कोर सेक्टर उद्योग		प्राथमिकता उद्योग		उच्च प्राथमिकता उद्योग	
		स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रूपये लाख में)
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	अ	40	40	45	80	45	90
	ब	40	50	45	90	45	100
	स	45	60	50	100	50	110
	द	45	70	50	110	50	120
मध्यम उद्योग	अ	35	80	40	90	40	100
	ब	40	90	45	100	45	110
	स	45	100	45	125	45	130
	द	45	120	45	130	50	140

टीप -

(1) पात्र लघु एवं मध्यम उद्योगों को यह विकल्प की सुविधा होगी कि वे या तो उपरोक्तानुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त करें अथवा नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते है ।

(2) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान अथवा नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति हेतु एक बार लिया गया विकल्प अंतिम होगा, तथा अनुदान स्वीकृति के उपरांत किसी भी दशा में विकल्प परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(6.22.3) नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति :-

केवल लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योग हेतु

क्षेत्र	सामान्य उद्योग/ कोर सेक्टर उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	उच्च प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी-अ परिशिष्ट-7 (अ)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 6 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 40 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 9 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत
श्रेणी-ब परिशिष्ट-7 (ब)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 55 प्रतिशत
श्रेणी-स परिशिष्ट-7 (स)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 55 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 60 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 70 प्रतिशत

क्षेत्र	सामान्य उद्योग/ कोर सेक्टर उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	उच्च प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी–द परिशिष्ट–7 (द)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 60 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 80 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत

टीप :–

(1) इकाईयों को नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति अन्य श्रेणी के उद्योगों अर्थात वृहद श्रेणी से उच्च श्रेणी में निवेश करने वाली इकाईयों को सुविधा की मात्रा वृहद उद्योग के लिये मान्य अधिकतम सीमा तक ही अनुमत योग्य होगी।

(2) इकाईयों को नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति की वार्षिक पात्रता का निर्धारण निवेश प्रोत्साहन हेतु मान्य सम्पूर्ण राशि को स्वीकृत समयावधि के वर्षों में समान रूप से विभाजित कर प्रतिवर्ष अधिकतम प्रतिपूर्ति नेट एसजीएसटी अथवा मान्य अधिकतम वार्षिक सीमा जो भी कम हो तक, की पात्रता होगी।

(6.22.4) <u>विद्युत शुल्क छूट</u> :–

पात्र **सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद, मेगा/अल्ट्रा मेगा (कोर सेक्टर उद्योगों सहित)** के नवीन उद्योगों/विद्यमान उद्योगों के विस्तार/विद्यमान उद्योगों के शवलीकरण प्रकरणों में विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी :–

क्षेत्र	सामान्य उद्योग/ कोर सेक्टर उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	उच्च प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी–अ परिशिष्ट–7 (अ)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 9 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी–ब परिशिष्ट–7 (ब)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी–स परिशिष्ट–7 (स)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी–द परिशिष्ट–7 (द)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट

टीप– केप्टिव उत्पादन संयंत्रों एवं वेस्ट हीट रिकवरी वाले उद्योगों को स्वयं की खपत पर विद्युत शुल्क भुगतान से छूट की पात्रता होगी।

(6.22.5) <u>मंडी शुल्क से छूट</u> :–

नवीन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी के कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण उद्योगों को राज्य की मंडियों/सीधे उत्पादनकर्ता कृषक/ इकाई/ राज्य के बाहर से सर्वप्रथम कच्चामाल क्रय करने के दिनांक से 7 वर्ष तक के लिये कृषि उत्पादों (परिशिष्ट–4 में वर्णित अपात्र उद्योगों को छोड़कर) पर लगने वाले मंडी शुल्क से पूर्ण छूट, अधिकतम राशि

₹ 3.00 करोड़ प्रतिवर्ष की सीमा तक प्रदान की जायेगी, साथ ही छूट की कुल अधिकतम सीमा इकाई द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(6.22.6) **अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/रियायत** :-

औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट (6.10) में यथा प्रावधानित ।

(6.22.7) **परिवहन अनुदान** :-

औद्योगिक नीति 2019-24 की अवधि में राज्य में कहीं भी स्थापित इकाईयों द्वारा निर्मित उत्पादों (खदान सामग्री छोडकर निर्यात उन्मुख उद्योगों हेतु) के निर्यात के लिये निर्माण स्थान से लेकर निर्यात स्थान तक, वास्तविक भाड़ा के बराबर सहायता प्रदान की जायेगी। सहायता की अधिकतम सीमा 30 लाख रूपये प्रतिवर्ष होगी, जो औद्योगिक नीति 2019-24 की समयावधि तक मिलेगी।

(6.22.8) **परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेन्ट अनुदान, प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान, मार्जिन मनी अनुदान, दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान, इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट प्रबंधन अनुदान)** :-

नीति के परिशिष्ट-6 अनुसार सामान्य वर्ग के उद्यमियों को दिये जाने वाले अनुदान से 10 प्रतिशत अधिक अनुदान एवं अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक उपरोक्तानुसार अनुदान देय होगा।

टीप- उपरोक्त औद्योगिक निवेश के विशेष आर्थिक प्रोत्साहन के अतिरिक्त निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों की भांति अन्य अनुदान, छूट एवं रियायतें भी प्राप्त होंगे।

(ब) **अन्य कार्यकारी निर्देश** :-

(1) औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत घोषित इस पैकेज में निर्धारित आधिक्य में प्रदान दिये जाने वाली घोषित विशेष आर्थिक निवेश प्रोत्साहन सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रशासनिक नियम, शर्तें एवं प्रावधान योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी की गई मूल अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधान यथा - आवेदन पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र एवं स्वीकृति तथा वितरण/ प्रमाण पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया आदि योजनाओं की छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के द्वारा जारी मूल अधिसूचनाओं के अनुरूप होगी।

(2) औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत घोषित इस पैकेज में निर्धारित आधिक्य में प्रदान दिये जाने वाली घोषित स्टाम्प ड्यूटी छूट हेतु समस्त प्रशासनिक नियम, शर्तें एवं प्रावधान योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी मूल अधिसूचना में वर्णित प्रावधान यथा - आवेदन पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र एवं स्वीकृति तथा वितरण/ प्रमाण पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया आदि योजनाओं की छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिककर (पंजीयन) विभाग के द्वारा जारी मूल अधिसूचनाओं के अनुरूप होगी।

(3) औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत घोषित इस पैकेज में निर्धारित आधिक्य में प्रदान दिये जाने वाली घोषित भू-उपयोग में परिवर्तन शुल्क में छूट हेतु समस्त प्रशासनिक नियम, शर्तें एवं प्रावधान योजना क्रियान्वयन हेतु जारी मूल अधिसूचना में वर्णित प्रावधान

यथा – आवेदन पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र एवं स्वीकृति तथा वितरण/ प्रमाण पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया आदि योजनाओं की छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी मूल अधिसूचनाओं के अनुरूप होगी।

(4) औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत घोषित इस पैकेज में निर्धारित आधिक्य में प्रदान दिये जाने वाली घोषित विद्युत शुल्क छूट हेतु समस्त प्रशासनिक नियम, शर्तें एवं प्रावधान योजना क्रियान्वयन हेतु जारी मूल अधिसूचना में वर्णित प्रावधान यथा – आवेदन पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र एवं स्वीकृति तथा वितरण/ प्रमाण पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया आदि योजनाओं की छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के द्वारा जारी मूल अधिसूचनाओं के अनुरूप होगी।

(स) स्वप्रेरणा से निर्णय :–

राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव/आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ किसी भी अभिलेख को बुला सकेंगे/स्वयं के निर्णय की समीक्षा कर सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें, परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें कमी करने के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा।

(द) कार्यकारी निर्देश :

अधिसूचना के अन्तर्गत आवश्यक कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ सक्षम होंगें। अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा मार्गदर्शन दिया जावेगा।

(इ) नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

(फ) इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

(ज) योजना का कियान्वयन

योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. क्र. एफ 20-01/2019/11/(6) नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 17 सितम्बर,2021
प्रतिलिपि :-

1. संचालक, उद्योग संचालनालय (छ0ग0), भूतल, उद्योग भवन, रायपुर।
2. प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी, प्रथम तल, उद्योग भवन रायपुर।
3. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र .....
   .....(छ.ग.)।
   -- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. नियत्रंक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियों इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग